<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं (राज०)</u>

लिंक पीठासीन अधिकारीः- **आशीष कुमार कुमावत,**

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः- **136/2026 (CIS N. 155/2026)**

पंकज पुत्र संजय कुमार, उम्र- 21 वर्ष, निवासी- कुंभकोट, पुलिस थाना सुकेत, जिला- कोटा ग्रामीण हाल किरीयेदार गली नंबर 01 रामचन्द्रपुरा, पुलिस थाना गुमानपुरा कोटा शहर (राज०) **...प्रार्थी/अभियुक्त**

//बनाम//

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक झुंझुनूं (राज०) **....विपक्षी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

बमुकदमा एफआईआर संख्या 01/2026 पुलिस थाना साईबर झुंझुनूं

अन्तर्गत धारा 318(4),316(2),61(2) भारतीय न्याय संहिता

<u>एवं धारा 66 डी आईटी एक्ट</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1 प्रार्थी पंकज की ओर से उसका पिता संजय कुमार

2 श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

<u>आदेश</u> **दिनांकः- 12.03.2026**

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त पंकज की ओर से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं द्वारा दिनांक 18.02.2026 को धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जमानत आवेदन खारिज करने से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदया के अवकाश पर होने से यह जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.01.2026 को परिवादी सज्जन सिंह द्वारा भार साधक अधिकारी, साईबर पुलिस थाना झुन्झुनू के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि वह उदावास का रहने वाला है। वह ऑनलाईन एक्समैन के लिए जॉब तलाश कर रहा था तब एक दिन उसके पास दिनांक 29.08.2025 को टेलीग्राम एप के माध्यम से एक मैसेज तेजु रॉय नामक महिला का आया, जिसने उसे कहा कि आप सज्जन सिंह बोल रहे हो क्या तो उसने कहां हों। तब उक्त तेजुरॉय ने कहा कि वे रिलायन्स रियेल्टी (प्रोपर्टी) के नाम से कंपनी चलाते हैं। जिसमें एक्समैन को जॉब दिया जाता है। फिर उसे एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया, जिसमें तेजु रॉय व सिबील भाई नाम के व्यक्ति ने कहा कि आपको पचीस से पिचहतर विज्ञापन देखने हैं, इसके बदले में आपको मोटी रकम दी जायेगी। इसके बाद उन्होनें बताया कि अगर आप रूपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको बड़ा प्रोफिट होगा, जिसमें उससे इन्वेस्टमेंट व बीमा के नाम

पर दिनांक 29.08.2025 से दिनांक 08.11.2025 तक अलग-अलग टुकड़ो में प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार कुल 1,24,03,785/- रूपये ठग लिए। अब तेजु रॉय व सिबील भाई ने अपनी टेलीग्राम आईडी पर उसे ब्लॉक कर दिया और अब उक्त लोग ना तो उससे संपर्क कर रहे हैं और ना ही उसे उसका पैसा वापिस मिला। इन लोगों ने उसके साथ फ्रॉड करके उसके रूपये हड़प कर लिए और आज दिनांक तक उसे उसकी राशि नहीं मिली इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर साईबर पुलिस थाना झुन्झुनू पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 01/2026 अन्तर्गत धारा 316(2), 318(4) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66 डी आईटी एक्ट में दर्ज की गई एवं दौराने अनुसंधान दिनांक 17.02.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक अभिलेख **शून्य** है।

5. प्रार्थी की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रकरण के अनुसंधान में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी के फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावे।

6. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी से छलपूर्वक प्रवंचना करते हुए रूपये प्राप्त किए गए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी से कुल 1,24,03,785/- रूपये की ठगी की गई है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। अतः आरोपित अपराध गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

7. उभयपक्ष को सुनकर अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी को इन्वेस्टमेंट व बीमा के नाम पर प्रवंचित कर विभिन्न चरणों में कुल 1,24,03,785/- रूपये की ठगी की गई है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है, वर्तमान प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उनसे भिन्न नहीं है। वर्तमान समय में

साइबर ठगी के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा निर्दोष लोगों के साथ छल कर धनराशि की ठगी की जा रही है। प्रकरण अभी अनुसंधान की स्टेज पर है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बगैर मामले के समस्त तथ्यों–परिस्थितियों एवं आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **पंकज** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

9. न्यायिक नजीर In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated. 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिए ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या-5/एस.ओ./2025 दिनांक 12.03.2025 की पालना में एक कवरशीट भी प्रार्थी/अभियुक्त को सूचनार्थ आदेश की प्रति के साथ भिजवाई जावे।

(आशीष कुमार कुमावत)
''लिंक अधिकारी''
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

10. आदेश आज दिनांक **12.03.2026** को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

SUBHASH CHANDRA SONI
Digitally signed by SUBHASH CHANDRA SONI
Date: 2026.03.13 11:21:13 +0530

(आशीष कुमार कुमावत)
''लिंक अधिकारी''
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)